

REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 985-986/2019

**IN RE : WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU,
KANPUR, UTTAR PRADESH**

WITH

**IN RE : WATER POLLUTION AT RANIA, KANPUR DEHAT &
RAKHI MANDI, KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1 – 7
2.	Annexure – I	8
3.	Annexure – II	9 – 12
4.	Annexure – III	13 – 29
5.	Annexure – IV	30 – 32
6.	Annexure – V	33 – 34
7.	Annexure - VI	35 – 38

**REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF THE ORDER OF HON'BLE THE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL PASSED IN THE O.A. No. 985/2019 IN RE: WATER POLLUTION BY
TANNERIES AT JAJMAU, KANPUR, UTTAR PRADESH WITH THE O.A. No. 986/2019 IN RE:
WATER POLLUTION AT RANIA, KANPUR DEHAT & RAKHI MANDI, KANPUR NAGAR, UTTAR
PRADESH**

I. INTRODUCTION

The Hon'ble NGT while dealing with O.A. No. 985/2019 and 986/2019 related to the scientific disposal of Chromium dumps at Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, which have been in existence since 1976 and have inter-alia resulted in contamination of groundwater thereby depriving the inhabitants of access to proper quality drinking water has passed several orders on different dates for controlling pollution, restoring environment and improving the quality of life of the local people.

II. ORDERS PASSED BY THE HON'BLE NGT

1. **Vide order dated 16.07.2020**, the Hon'ble National Green Tribunal reviewed on 14.07.2020 the reports filed by the Chief Secretary, UP on 04.02.2020 and 11.06.2020, and the CPCB. The report of the Chief Secretary, UP stated that an action plan has been prepared for restoration of the environment and certain steps have been taken for supply of water to the inhabitants. Further, the report mentioned that the matter of remediation is at the stage of inviting tenders. The report of the CPCB on the other hand was of a general nature. The Hon'ble Tribunal noted with concern that the chromium dump containing toxic chemicals has not been shifted to the TSDF as required under the law in spite of its repeated directions showing total lack of sensitiveness on the part of concerned officers as also complete failure of the State Government. Hazard to public health and environment still continues. The process of remediation can start only after shifting of the waste to operational TSDF. In view of the seriousness of the situation, the

Hon'ble Tribunal directed the Chief Secretary, UP to ensure prompt action on priority basis in a time bound manner by personally monitoring the progress closely.

2. **In its order dated 08.02.2021**, the Hon'ble Tribunal considered the report of the UPPCB dated 29.01.2021 and directed as follows:

“Accordingly, in the light of above discussion, the State of UP may take further remedial action. Remediation of hazardous waste sites departmentally may be explored, as tender process has not succeeded in the last several years and the dump sites have been in existence for the last 45 years which continue to be hazard to the lives of the inhabitants. The additional sites pointed out above may also be remediated. This needs to be tackled on emergency basis at the highest level in the State and monitored at the level of the Chief Secretary and also the Oversight Committee. CPCB may be consulted in the process for the remedial action which should be as per rules. The action plan may also ensure provision for water supply to all affected areas. Further, it must be ensured that contamination does not affect the food chain. The stand of the State of UP with regard to compensation is not as per earlier order dated 15.11.2019, para 13. If the amount is not recovered from the companies for want of effective legal steps for recovery within reasonable time, liability of the State for its negligence and inaction will continue.”

3. **In its order dated 23.11.2021**, the Hon'ble Tribunal considered the report of the CPCB, and the Oversight Committee on not starting the disposal of the chromium dump and continuing discharge of toxic chromium in the river Ganga and concluded that there is lack of seriousness on the part of the authorities in handling the grim situation which has been in existence since 1976 and is adversely affecting the health of the citizens. In order to remedy the situation at ground level, the Hon'ble Tribunal constituted a five-member expert Committee under the chairmanship of the Chief Secretary, UP with nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UP PCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar. The CPCB and the State PCB have been made nodal agencies jointly.

The Hon'ble Tribunal also directed the Committee to meet within two weeks and prepare the roadmap for remedial action.

III. COMPLIANCE STATUS AS ON 15.04.2022

S. No.	Directions issued by Hon'ble NGT	Concerned Department	Compliance status
1.	Finalization of volume of chromium dump	CPCB & UPSIDA	<p>A joint inspection of the site was carried out by the CPCB & IIT Kanpur along with the officials of the UPSIDA and District Administration on 17.11.2021. As per the joint inspection report, the current and finalized estimate of available waste volume is 1,22,799 m³. The same has been approved by the State Level Monitoring Committee on 04.01.2022.</p> <p>The compliance report submitted by the UPSIDA is annexed as Annexure I. The minutes of meeting of the joint inspection conducted by the CPCB & IIT Kanpur is annexed as Annexure II.</p>
2.	Preparation of roadmap for remedial action by five-member expert committee as constituted by Hon'ble NGT in order dated 23.11.2021.	UPPCB & CPCB	In spite of repeated reminders, no information has been furnished by the nodal agencies. Informally it is learnt that no such meeting has been held so far.

3.	Recovery of EC imposed on erring industries	UPPCB	<p>The UPPCB had imposed an EC of Rs. 280 Cr against six defaulting industries engaged in production of Basic Chrome Sulphate which were responsible for the illegal dumping of Chromium Waste at Rania, Kanpur on 19.11.2019.</p> <p>On 16.03.2021, the UPPCB had identified 5 more such industries against whom the show-cause notices were issued by the Board. Against the 2 industries, viz. M/s Kalina Chemicals Pvt. Ltd. and M/s Bharat Chemical Udhog, the Board has imposed an EC of Rs. 18,02,72,088.00 and Rs. 1,40,07,150.00 respectively. After considering the replies from 3 units viz. M/s Khanna Vivek Chemicals Pvt. Ltd. C30D, Site-I, Panki, Kanpur Nagar, M/s Unichem India, Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar and M/s Rahman Industries Ltd, 1002, 1003, Akrapur, Chakampur, show cause notices have been revoked.</p> <p>The details of EC imposed on the erring industries are mentioned in Annexure III.</p>
----	---	-------	--

4.	Recovery of EC imposed on UP Jal Nigam	UP Jal Nigam	<p>The case is still pending in the Hon'ble Supreme Court.</p> <p>The compliance report and documents submitted by the UP Jal Nigam in this regard is annexed as Annexure IV.</p>
5.	Status on 20 MLD CETP in Jajmau	NMCG	<p>As per the compliance report submitted by the NMCG on 24.03.2022, the overall progress of the project is 43.47% which is only 13.36% more than the previous progress of June 2021. Now the target date for completion has been shifted from 02.02.2022 to 02.06.2022.</p> <p>The detailed progress report submitted by the NMCG is annexed as Annexure V.</p>
6.	Action taken on non-compliant CETP in Jajamu	UPPCB	<p>The UPPCB vide its letter dated 20.04.2022 has imposed an EC of Rs. 11,62,500 for non-compliant CETP for the period of 04.06.2021 to 05.04.2022 against the Ganga Pollution Control Unit, UP Jal Nigam.</p> <p>The letter issued to the UP Jal Nigam in this regard is annexed as Annexure VI.</p>

Thus, it is clear from the reports of the concerned departments that there is absolutely no progress in actual removal of the chromium dump and only paperwork is being done.

IV. RECOMMENDATIONS BY THE OVERSIGHT COMMITTEE

In view of the above, we recommend as follows:

1. The Chief Secretary, UP may be directed to hold a meeting with the nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UPPCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar as mentioned in the order of the Hon'ble NGT dated 23.11.2021 at the earliest so that the actual work of scientific disposal of chromium dump is started without any further delay and completed in the shortest possible time. The Chief Secretary, UP may also be directed to monitor the execution of the plan every month and forward a monthly progress report in this regard to the Oversight Committee for the submission of quarterly progress report to the Hon'ble NGT. The Chief Secretary may further be directed to specify the date when the actual work for removal of chromium dump shall start.
2. The progress of 20 MLD CETP which is under construction in Jajmau is far from satisfactory (only 13.36% in last 9 months and cumulative progress of 43.47% only till now). Now the timelines for completion of the project has been shifted from February 2022 to June 2022. Considering the present pace of progress, it does not seem to be possible. The Chief Secretary may be directed to include the monitoring of this project also in his monthly meeting on environmental matters and send the minutes of the meeting to the Oversight Committee for the submission of quarterly progress report to the Hon'ble NGT.
3. The Member Secretary, UPPCB may be directed to ensure that the compensation imposed on the erring industries/agencies is realized without any further delay.
4. Though there are mechanisms available to recover EC from the defaulter industries which are in operation, for closed down units when efforts are made to recover EC as arrear of land revenue, due to judicial pronouncement that EC cannot be recovered as arrear of land revenue, the recovery becomes almost impossible. The Central Government may be directed to amend the relevant Act to include the

recovery of EC as arrear of land revenue to facilitate the recovery from the closed units.

5. The Member Secretary, UPPCB may be directed to take effective actions against erring officials/industries for continued pollution of the river Ganga through regular monitoring of the functionality of the CETP and STPs under various provisions of the Environmental laws.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

22-Apr-22

22-Apr-22

X Anant Kumar Singh

Anant Kumar Singh
Member, Oversight Committee
Signed by: ANANT KUMAR SINGH

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

April 22, 2022

Annexures: As above

Please visit our website: oscngt.upsdc.gov.in for more information.

Annexure-I

POINTS OF DISCUSSION IN OA NO. 985/2019 IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU, KANPUR WITH OA NO. 986/2019 IN RE: WATER POLLUTION IN RANIA, KANPUR DEHAT & RAKHI MANDI, KANPUR NAGAR

Concerned department:

1. UPSIDA
2. MS, UPPCB
3. UP Jal Nigam
4. NMCG

Points of Discussion

1. Status of finalization of volume and area of chromium dump.
2. Status on the resumption of land by DM Kanpur for creation of landfill site.
3. Status of recovery of EC imposed on erring industries.
4. Status of any remedial actions on non-compliant CETP and CCRP in Jajmau.
5. Status of recovery of EC imposed on UP Jal Nigam.
6. Status of preparation of roadmap for remedial action by five member expert committee as constituted by Hon'ble NGT in order dated 23.11.2021.
7. Status of ETP installation to prevent the untreated discharge of industrial effluent in river Ganga and its tributaries.

Reply of UPSIDA

For Point No. 1- The estimation of the volume and area of chromium dump has been finalized. As per instruction given by Over Sight Committee dt. 09.11.2021 joint inspection of site done by CPCB & IIT Kanpur alongwith officials of UPSIDA & Districts Administration on dt 17.11.2021. IIT Kanpur has given a presentation before State Level Committee with regard to volume, technology & cost. As per joint inspection report State Level Advisory Committee has given their approval on volume and Technical report presented by IIT Kanpur on dt. 04.01.2022

For Point No. 2- A land for landfill site for disposal of chromium dump has been identified at Vill. Kumbhi by the District Administration near village Khan Chandapur, Rania on which consent has also been given by UPSIDA. IIT officials have visited the selected site & formally given their concen. Formal hand over of the land shall not be required, UPSIDA should use the aforesaid land for project duration only.

12/13
N.O.
(N.G.T.)

SUBJECT: HON'BLE NGT MATTER IN OA NO. 985/2019
IN RE: WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU,
KANPUR WITH OA NO. 986/2019 IN RE: WATER
POLLUTION IN RANIA, KANPUR DEHAT

REFERENCE: MINUTES OF THE MEETING OF THE OVERSIGHT
COMMITTEE (NGT), UP LUCKNOW, DT 09.11.2021 ORGANIZED
THROUGH VIDEO-CONFERENCING

Minutes of On-site Meeting Dt 17.11.2021

01. Background

Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, initiated during 2011-12, a Project under National Clean Energy Fund (NCEF) for "Remediation of Hazardous Waste Contaminated dump sites" at 12 areas (containing multiple sites) in the country. Chromium-contaminated site at Rania, Kanpur Dehat, UP was identified as one of the priority sites requiring remediation under this NCEF Project. In this regard, MoEF&CC engaged Central Pollution Control Board (CPCB) as a Project Implementing Agency. The Administrative Execution for the project was steered through Project Steering Committee headed by Chairman, CPCB and members comprised from participating State Boards.

02. Proceedings

Pursuant to the decision taken in the Meeting referred above vide point no. 03 of the Minutes, an on-site meeting was held at the Rania site, Kanpur Dehat on 17.11.2021. List of members present during the meeting are appended in Annexure. Proceedings of the meeting and the salient issues that came up during the meeting are summarised as under:

- A. During the On-site Meeting, Regional Director CPCB Lucknow apprised all the members about CPCB initiatives whereby, CPCB executed a detailed investigation of the contaminated sites at Rania, Kanpur Dehat through its Consultant M/s ERM India Pvt. Ltd, Gurgaon, hereinafter referred as the 'Consultant'. This study was part of a nationwide exercise wherein, several contaminated sites in India were identified for investigation and remediation.



- B. The study, as per the contract signed in July 2014 and executed through the Consultant, was under regular review by Technical Expert Committee (TEC) constituted by CPCB. The TEC comprised of member experts from NEERI (CSIR), IIT-Delhi, NGRI (CSIR), CPCB, UPPCB, and other distinguished professionals.
- C. Periodic review of the study execution was made by State Level Monitoring Committee constituted by U.P. Pollution Control Board.
- D. The Consultant submitted its Detailed Project Report (DPR) in January, 2018. A copy of the DPR along with investigation/risk assessment reports were made available to U.P. Pollution Control Board and Dept. of Environment, State of UP.
- E. Subsequent to completion of the study (DPR), CPCB has been under regular follow-up with U.P. Pollution Control Board and Dept. of Environment, State of UP for execution of the remediation activities, wherein the study Reports be taken for reference as Guidelines.
- F. CPCB, through its Regional Directorate (RD) at Lucknow, has been regularly providing its input at various forums / meetings convened by concerned departments of U.P. State Govt. for execution of Remediation Activities at the contaminated site(s) under reference.
- G. CPCB RD Lucknow mobilised all the relevant detail (justification) about waste volume estimation, obtained through its designated Consultant and provided the same to the concerned departments. Further clarifications along with digital versions of all the Reports prepared by the Consultant were made available to IIT Kanpur on 20.09.2021.
- H. The fact worth mentioning here is that the findings based on detailed investigation by the CPCB Consultant for the entire study, apart from waste volume estimated, have been subjected to scrutiny by the Technical Expert Committee of CPCB. The impacted area (32,958 square meter) and estimated waste volume (37,712 cubic meter) as per the study conducted during 2016-17 are indicative, and the actual figure may only be worked-out during the execution of remediation works.
- I. Since completion of the CPCB study and submission of DPR in 2018, possibility of occasional (illegal) withdrawal / deposit of waste in the subject area can not be completely ruled out as the area was accessible to anyone until Oct 2021 when it was barricaded along the road. Further, with extended storage of Chromium (VI) bearing waste at the subject site, possibility of Chromium (VI) leaching to subsurface soil / groundwater,



thus further magnifying the impact zone and thereby build-up of Chromium (VI) in soil in adjoining areas can also be a possibility. This can be one of the reasons of increase in impacted area (50,372 square meter) and also in the volume of waste (1,22,799 cubic meter) as reported by the IIT Kanpur study (June, 2021), executed almost five years after the CPCB-ERM study, apart from the differences in the methodologies adopted for estimation of waste volume in the two studies, each of which have their own merits.

03. Recommendations

- A. In view of the above, and with the available Detailed Investigation Report along with DPR (CPCB-ERM) way back in 2018, subsequent inputs by CPCB, and latest Report (2021) by IIT-Kanpur, we conclude that the current estimate of the available waste volume is 1,22,799 m³ over an area of 50,372 m².
- B. Sensing the urgency of the matter, we recommend moving forward with the latest estimates available and ensure execution of remedial action in compliance of the referenced order of Hon'ble NGT.
- C. While execution of remediation studies, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2018 (as amended) and CPCB Guidelines as relevant shall be strictly adhered to and compliance of the notified standards for waste, soil and groundwater shall be ensured by the executing agency. Reference shall also be made to the DPR prepared by CPCB-ERM referred above and the report submitted by IIT Kanpur.



On-site Meeting at Rania, Kanpur Dehat, Dt 17.11.2021

List of Members Present

1. Sh Vageesh Shukla, SDM, Kanpur Dehat
2. Dr R. K. Singh, Regional Director, CPCB Regional Directorate,
Lucknow 
3. Prof. Abhas Singh, IIT Kanpur 
4. Prof. S. Rajesh, IIT Kanpur 
5. Sh Sanjay Tiwari, Nodal Officer(NGT, UPSIDA, Kanpur) 
6. Sh J.P. Maurya, Regional Officer, UPPCB, Kanpur Dehat

संदर्भ सं०

Ref. No. H74349

दिनांक

Date 14-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

1. मेसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात द्वारा श्री अलखनाथ तिवारी (निदेशक), 24-4-1, देवकीनगर, यशोदा नगर, कानपुर नगर।
2. मेसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात द्वारा श्री अनिल (निदेशक) 24-4-1, देवकीनगर, यशोदा नगर, कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयाँ चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित कोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित कोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 6090.273 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 274062295.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात पर रूपये 274062295.00 (सत्ताइस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार दो सौ पच्चाबे मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No H74350

सा-2/1157-46/2022

दिनांक 14-4-22
Date

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात
द्वारा श्री के०के० जैन (निदेशक),
शिवाटेक अपार्टमेंट, पाण्डू नगर,
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित कोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित कोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

...2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.- 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 10421.134 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 468951039.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 468951039.00 (छयालीस करोड़ नवासी लाख इक्यावन हजार उन्तालीस मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

o/c

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H74348

दिनांक 14-4-22

Date

सेवा में,

पंजीकृत

1. मेसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात द्वारा श्री दिलीप अवस्थी (निदेशक), 128 द क्लूड हाउस, द्वितीय तल, दि मॉल, कानपुर नगर।
2. मेसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात द्वारा श्री कीर्तिमान सिंह पुत्र श्री आर.एस. रेकवार (निदेशक) 128 द क्लूड हाउस, द्वितीय तल, दि मॉल, कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्याननुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित कोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित कोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 3248.146 मी०टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 146166558.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात पर रूपये 146166558.00 (चौदह करोड़ इक्सठ लाख छ्छठ हजार पांच सौ अठठावन मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रमारी (वृत्त-2)

04

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रमारी (वृत्त-2)

04



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H74347 / सी-2 / NST-46 / 2022

दिनांक

Date 14-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

1. मेसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात द्वारा श्री दिलीप अवस्थी (निदेशक), 16 डी, श्यामनगर, कानपुर नगर।
2. मेसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात द्वारा श्री आर.एस. रेकवार (निदेशक) 6/31, पार्वती बंगला रोड, रानीघाट, कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

...2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 19488.874 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 876999345.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 876999345.00 (सत्तासी करोड़ उन्हत्तर लाख निन्नावये हजार तीन सौ पैतालीस मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No

H74346

स्ता-2 / NPT-46/2022

दिनांक

Date

14-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स हिल्जर केमि प्रा०लि०, ग्राम चिरौरा रायपुर खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात
द्वारा श्री के०सी० अग्रवाल (निदेशक),
द्वारा आर०पी० एडबिल ऑयल्स लि० रनियाँ, कानपुर देहात
कार्यालय, द्वितीय तल, नारायणी प्लाजा, 25/41, कराची खाना,
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित कोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित कोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 8804.744 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 396213484.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स हिल्जर केमि प्रा0लि0, ग्राम चिरौरा रायपुर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात पर रूपये 396213484.00 (उन्तालीस करोड़ बासठ लाख तेरह हजार चार सौ चौरासी मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मेसर्स हिल्जर केमि प्रा0लि0, ग्राम चिरौरा रायपुर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट का बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कॉमन टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से सुरक्षित निस्तारित सुनिश्चित किया जाये तथा उसका प्रमाण बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय



मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

ok



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. H74345/सी-2/नस्ट-46/2022

दिनांक 14-4-22
Date

पंजीकृत

सेवा में,

1. मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात द्वारा श्री अनिल शुक्ला वारसी (निदेशक), एच-2, किदवई नगर, संजयवन के सामने, कानपुर नगर।
2. मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात द्वारा श्रीमती प्रतिभा शुक्ला (निदेशक) एच-2, किदवई नगर, संजयवन के सामने, कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित कोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित कोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

...2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 9854.512 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 44,34,53,042.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 44,34,53,042.00 (चब्बालीस करोड़ चातीस लाख तिरपन हजार बयालीस मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, उमरन रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट का बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कॉमन टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से सुरक्षित निस्तारित सुनिश्चित किया जाये तथा उसका प्रमाण बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय



०५ मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

०५



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H 74344

सी-2/NSP-46/2022

दिनांक

Date 14-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स कलीना केमिकल्स प्रा०लि०,
ग्राम-मालो, जी०टी० रोड, चौबेपुर,
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्द्रपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्द्रपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त 05 संदर्भित इकाइयों में से 02 इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार उद्योग संचालन वर्ष से जनित क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को हस्तान्तरित किये जाने तथा उद्योग द्वारा खानचन्द्रपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण किया जाना परिलक्षित नहीं होने की संस्तुति के दृष्टिगत उक्त 02 उद्योगों को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत 01 इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट को उसकी सह इकाई में भण्डारित पाये जाने के दृष्टिगत उक्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किया गया है।

....2.....

उल्लेखनीय है कि बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित कोमियम वेस्ट (तत्समय आंकलित 3139.969 मी०टन) का खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में असुरक्षित निस्तारण किये जाने एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर आंगणित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 141298598.00 अधिरोपित किये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक 1069/के-77/21 दिनांक 29.09.21 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 30.03.2022 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार उद्योग संचालकों द्वारा पर्याप्त समयोपरान्त भी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा उद्योग मेसर्स कलीना केमिकल्स प्रा०लि०, ग्राम-मालो, जी०टी० रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.09.2021 की पुष्टि की गयी है।

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 4006.046 मी०टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 180272088.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स कलीना केमिकल्स प्रा०लि०, ग्राम-मालो, जी०टी० रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर पर रूपये 180272088.00 (अठठारह करोड़ दो लाख बहत्तर हजार अठठासी मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रमारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रमारी (वृत्त-2)

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H 74343

वि० नं० 57-46/2022

दिनांक 14-4-22
Date

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स भारत केमिकल उद्योग
द्वारा श्रीमती तरन्नुम फातिमा पत्नी श्री शहाबुददीन
एवं श्री शहाबुददीन पुत्र श्री मो० नफीस
तथा इपतेखार, श्री इकबाल अहसान श्री वकारुल अमीन,
39/72 मजीद अहमद रोड,
कानपुर नगर ।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 05 अन्य दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी, जिसमें मै० भारत केमिकल उद्योग, 1002, 1003 अकरमपुर, चमरमपुर, उन्नाव भी सम्मिलित था। उक्त सभी 05 इकाइयों को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित कोमियम वेस्ट (तत्समय आंकलित 4411.684 मी०टन) का खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में असुरक्षित निस्तारण किये जाने एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर आंगणित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 198525772.00 अधिरोपित किये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक 76/हैजा० वेस्ट- 20/2022 दिनांक 17.01.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

...2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 13.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानसार मैसर्स भारत केमिकल उद्योग, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें अवगत कराया गया कि उद्योग की भूमि को श्रीमती तरन्नुम फातिमा ने मै0 भारत केमिकल उद्योग को लीज पर माह फरवरी 1997 में दिया था। प्रत्यावेदन के अनुसार उद्योग प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक कुल 567 दिन तक संचालित रहा एवं उद्योग का उत्पादन सफल नहीं होने के कारण मै0 भारत केमिकल उद्योग बंद हो गया। उद्योग बंद होने के उपरांत श्रीमती तरन्नुम फातिमा ने कार्यालय एवं टिन शेड सहित संपूर्ण भूमि दिनांक 28 जून 2004 को मैसर्स रहमान एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वाजिदपुर जाजमऊ, कानपुर को विक्रय कर दिया।

उद्योग ने अपने प्रत्यावेदन में उद्योग से जनित होने वाले कोमियम अपशिष्ट की दैनिक मात्रा 10 टन प्रति माह बताई है तथा प्रत्यावेदन के बिन्दु संख्या-8 पर जुलाई 1999 से वर्ष 2003 तक प्रतिमाह किए गए उत्पादन कार्य दिवसों तथा उद्योग से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा का चार्ट प्रस्तुत किया है। उक्त चार्ट के अनुसार उद्योग में उत्पादन कार्य प्रारंभ होने की तिथि 01 जुलाई 1999 से उत्पादन कार्य बंद होने की तिथि 31 दिसंबर 2003 तक कुल 567 दिनों में उद्योग का संचालन किया जाना तथा उक्त अवधि में 226.80 मीट्रिक टन परिसंकटमय अपशिष्ट का जनित होना सूचित किया है।

उद्योग के प्रत्यावेदन के अवलोकन के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा उद्योग के निरीक्षण दिनांक 25.02.2001 तथा 07.04.2001 के समय उद्योग के संचालन दिवस के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है-

कम सं० माह	संचालन दिवस
1. जनवरी 2001	12 दिन
2. फरवरी 2001	15 दिन
3. मार्च 2001	06 दिन
4. अप्रैल 2001	5 अप्रैल 2001 से संचालित

क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2001 से मार्च 2001 तक कुल 33 दिन उद्योग का संचालन किया गया था। उद्योग द्वारा दी गई कार्य संचालन दिवस तालिका में जनवरी 2001 से मार्च 2001 तक वर्णित 33 दिन की पुष्टि होती है। अन्य माह में उद्योग के संचालन अवधि संबंधी कोई अभिलेख तथा निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं है।

उद्योग ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2022 में 10 टन प्रति माह के आधार पर परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होने की बात कही है तथा बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 14.03.2002 के बिन्दु संख्या 11 पर उद्योग से जनित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा 10 टन प्रति माह बताया गया है परंतु बोर्ड की निरीक्षण आख्या दिनांक 28.08.1999 में उद्योग से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा 15 टन प्रति माह दर्शायी गई है। इस प्रकार 25 कार्यदिवस तथा 15 टन प्रतिमाह जनित अपशिष्ट के आधार पर उद्योग के संचालन अवधि 567 दिनों में कुल 311.27 एम0टी0 परिसंकटमय अपशिष्ट उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित हुआ।

उद्योग द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार कुल 567 कार्य संचालन दिवसों में उद्योग से जनित 311.27 एम0टी0 परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण हेतु उद्योग में 2 नग पक्के टैंक, जिनका आकार 11 x 7 x 5 घनफिट था तथा एक नग पक्का टैंक जिसका आकार 13 x 7 x 5 घनफिट था, में भंडारित किया गया। प्रथम दो टैंकों के आकार का सत्यापन बोर्ड की निरीक्षण दिनांक 15.02.2001 तथा 07.04.2001 की आख्याओं से की जा सकती है, जिसमें उद्योग में 11 x 7 x 5 घनफिट के दो पक्के टैंक दर्शाए गए हैं परंतु तीसरे टैंक के आकार का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त टैंक के आकार का उल्लेख उद्योग ने अपने प्रत्यावेदन में किया है। इस प्रकार उद्योग में कुल 3 नग पक्के टैंकों का संयुक्त आयतन लगभग 113.84 घन मीटर होता है, जिसमें उद्योग से जनित 4.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी/घनत्व का लगभग 512 टन कोमाइट अपशिष्ट भण्डारित किया जा सकता था। उक्त भण्डारण क्षमता उद्योग से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा से अधिक है।

इस प्रकार उद्योग द्वारा कुल 567 कार्य दिवसों में उद्योग से जनित कुल 311.27 एम0टी0 परिसंकटमय अपशिष्ट का भण्डारण 512 टन क्षमता के 3 नग पक्के टैंकों में किया गया।

उद्योग ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13 अप्रैल 2022 में सूचित किया है कि वर्ष 2003 में उद्योग सफल नहीं होने के कारण मै0 भारत केमिकल उद्योग को बंद कर दिया गया तथा उद्योग बंद होने के उपरांत श्रीमती तरन्नुम फातिमा ने ऑफिस, टिन शेड सहित संपूर्ण उद्योग भूमि को दिनांक 28 जून 2004 को मै0 रहमान एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाजिदपुर, जाजमऊ, कानपुर को विक्रय कर दिया है। परन्तु विक्रय अभिलेखों में उद्योग में हैजाडर्स वेस्ट के भंडारण संबंधी कोई तथ्य अंकित नहीं है।

उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि तत्समय प्रदेश में कोई कॉमन हैजाडर्स वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी संचालित नहीं थी जिसके दृष्टिगत उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित हैजाडर्स वेस्ट को उद्योग परिसर में स्थापित तीन नग पक्के टैंकों में अस्थाई रूप से भंडारित किया गया था। तत्पश्चात उद्योग बंद होने के कारण भूस्वामिनी श्रीमती तरन्नुम फातिमा ने उक्त उद्योग भूखंड को मैसर्स रहमान एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाजिदपुर, जाजमऊ, कानपुर को विक्रय कर दिया। कार्यालय अभिलेखों में उक्त के उपरांत भंडारित किये गये अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से निस्तारित किए जाने संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिससे इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से किसी टी0एस0डी0एफ0 में निस्तारित किया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 13.04.2022 द्वारा मै0 भारत केमिकल उद्योग 1002, 1003, अकरमपुर-चकरमपुर, उन्नाव से जनित 311.27 एम0टी0 परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से निस्तारण न किए जाने के कारण उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित संस्तुति की गयी है।

वर्तमान में खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदयी 08 इकाइयों के उत्पादन के आधार पर आपकी इकाई द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 311.270 मी0टन आंकलित की गयी है, जिस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 14007150.00 आंगणित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मैसर्स भारत केमिकल उद्योग, 1002, 1003, अकरमपुर-चकरमपुर, जनपद-उन्नाव पर रूपये 1,40,07,150.00 (एक करोड़ चालीस लाख सात हजार एक सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रभारी (वृत्त-2)

OLC


5.	Status of recovery of EC : U.P. Jal Nigam is held liable to pay a sum of Rs 1 crore for releasing untreated large quantity sewage containing toxic chromium in river Ganga	Jal Nigam, UP	Non complied.	Non-complied. Regarding the EC of Rs 1 Crore imposed on Jal Nigam, the joint MD Jal Nigam informed that they filed a review application before Hon'ble NGT which has been rejected by the Hon'ble Tribunal. He further added that they have filed an SLP in the Hon'ble Supreme court but so far have not got any stay. Till date no EC has been deposited by Jal Nigam. The committee directed that UP Jal Nigam shall either deposit the EC or get a stay within 15 days.	A Civil Appeal vide diary No.4835/2020 has been filled which is registered as C.A. No.002924-002925/2020 on 07.08.2020 before the Hon. Supreme Court against the order of Hon. Tribunal stating the facts that all the sewer cleaning works had been executed with the permission of State Government and it is permissible under Sec. 24 of water prevention and control act 1974. It was listed on 24.08.2020 in which Hon'ble Supreme Court tagged the case with CA No.988 to 989 of 2020. At present works of trunk sewer rehabilitation has been completed and sewage is being treated at Jajmau cluster of STPs without any interruption since October-2019. As far as deposit of E.C. is concerned, Jal Nigam is waiting for the decision of Hon'ble Supreme Court.
----	--	---------------	---------------	--	--




Project Manager
Ganga Pollution Control Unit,
U.P.Jal Nigam,
Kanpur



General Manager
Ganga Pollution Control Unit,
U.P.Jal Nigam,
Kanpur



Supertending Engineer
XIV Circle,
U.P.Jal Nigam,
Kanpur



Chief Engineer (K.Z)
U.P.Jal Nigam,
Kanpur

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 2924-2925/2020

UTTAR PRADESH JALNIGAM

Appellant(s)

VERSUS

M/S KATYANI & ORS.

Respondent(s)

(IA No.73964/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED
JUDGMENT and IA No.73961/2020-STAY APPLICATION and IA
No.73962/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 24-08-2020 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE L. NAGESWARA RAO
HON'BLE MR. JUSTICE HEMANT GUPTA
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT

For Appellant(s) Mr. I.K. Kapila, Adv
Mr. Prakash Kumar Singh, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Tag with Civil Appeal Nos.988-989/2020.

(Geeta Ahuja)
Court Master

(Anand Prakash)
Court Master

Signature Not Verified

Digitally signed by
GEETA AHUJA
Date: 2020.08.24
19:49:38 IST
Reason: —

ITEM NO.9

Court 3 (Video Conferencing)

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

CIVIL APPEAL Diary No(s). 22712/2020

(Arising out of impugned final judgment and order dated 13-07-2017 in OA No. 200/2014 passed by the National Green Tribunal)

NAGAR PALIKA PARISHAD RAMNAGAR

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

Respondent(s)

(IA No.120175/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.120176/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.120173/2020-PERMISSION TO FILE APPEAL and IA No.120174/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING APPEAL)

Date : 12-01-2021 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE ROHINTON FALI NARIMAN
HON'BLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA
HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH

For Petitioner(s) Mr. Vijay Kumar, Adv.
Mr. Aniruddha P. Mayee, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Tag with Civil Appeal Nos. 988-989 of 2020 and Civil Appeal Nos. 2924-2925 of 2020.

(JAYANT KUMAR ARORA)
COURT MASTER

(NISHA TRIPATHI)
BRANCH OFFICER

Signature Not Verified

Digitally signed by
Jayant Kumar Arora
Date: 2021.01.12
16:17:48 IST
Reason:

As desired by oversight committee of Hon'ble NGT, the progress of 20 MLD CETP Jajmau is as follows:


20 MLD CETP Project, Jajmau, Kanpur

S. No.	Description	Unit	Total Quantity	Achieved Quantity	Completion (%)
1	Design & Engineering-Drawings	No.	463	463	100.0%
2	Excavation	Cu. m	265495	229080	86.3%
3	RCC & PCC	Cu. m	40680	22969	56.5%
4	Pipeline Procurement	Km	25.6	25.6	100.0%
5	Pipeline laid	Km	25.6	16.5	64.5%
6	Overall Planned Progress				84.86%
7	Overall Achieved Progress				43.47%

The project completion date has been targeted as 02-06-2022. However, after an assessment of balance work the project completion will be delayed for another 4-6 months. The relevant document is enclosed as Annexure-I. Efforts for completion of the project at the earliest are being made continuously.

Annexure- I

20 MLD CETP KANPUR PROJECT PROJECT 'S' CURVE MONTHLY - OVERALL



PLAN	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22			
Monthly Plan (%) BL	5.45%	10.38%	5.43%	3.20%	4.85%	7.98%	10.62%	18.93%	7.84%	4.41%	2.29%	1.53%	1.73%	0.98%	0.95%	0.73%	0.66%	2.19%	1.78%	1.15%	1.19%	1.99%	2.48%	1.11%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Cum Plan (%) BL	5.45%	15.84%	21.27%	24.47%	29.32%	37.30%	47.93%	66.86%	74.70%	79.11%	81.40%	82.93%	84.66%	85.64%	86.58%	87.31%	87.97%	90.16%	91.94%	93.09%	94.28%	96.27%	98.76%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Monthly Forecast (%) R1	0.00%	0.74%	1.03%	0.94%	0.44%	0.67%	0.33%	0.68%	0.00%	0.61%	2.97%	1.49%	1.60%	1.03%	1.19%	1.40%	4.26%	1.09%	1.10%	1.41%	1.44%	0.48%	1.20%	1.86%	1.28%	0.87%	0.41%	1.64%	4.02%	0.96%	3.44%	8.06%	10.10%	13.21%	10.49%	3.38%	0.14%	7.50%	7.50%	0.00%		
Cum Forecast (%) R1	0.00%	0.74%	1.76%	2.70%	3.15%	3.82%	4.15%	4.83%	4.83%	5.44%	8.41%	9.90%	11.50%	12.52%	13.72%	15.11%	19.38%	20.47%	21.57%	22.98%	24.42%	24.90%	26.10%	27.96%	29.24%	30.11%	30.52%	32.16%	33.14%	34.10%	36.14%	37.52%	40.02%	41.27%	43.47%	84.86%	85.00%	92.50%	100.00%	100.00%		
Monthly Actual (%)	0.00%	0.74%	1.03%	0.94%	0.44%	0.67%	0.33%	0.68%	0.00%	0.61%	2.97%	1.49%	1.60%	1.03%	1.19%	1.40%	4.26%	1.09%	1.10%	1.41%	1.44%	0.48%	1.20%	1.86%	1.28%	0.87%	0.41%	1.64%	4.02%	0.96%	3.44%	8.06%	10.10%	13.21%	10.49%	3.38%	0.14%	7.50%	7.50%	0.00%		
Cum Actual (%)	0.00%	0.74%	1.76%	2.70%	3.15%	3.82%	4.15%	4.83%	4.83%	5.44%	8.41%	9.90%	11.50%	12.52%	13.72%	15.11%	19.38%	20.47%	21.57%	22.98%	24.42%	24.90%	26.10%	27.96%	29.24%	30.11%	30.52%	32.16%	33.14%	34.10%	36.14%	37.52%	40.02%	41.27%	43.47%	84.86%	85.00%	92.50%	100.00%	100.00%		



Annexure-VI
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
Ref. No. 74519

सी-2/सामान्य-78/22

दिनांक
Date 20/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल,
जनपद-कानपुर नगर।

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 19.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित 36 MLD CETP से इरिगेशन चैनल में अधोमानक निस्तारित किये गये शोधित उत्प्रावाह के संबंध में नियमित निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य किया गया। CETP के फाइनल आउटलेट बिन्दु इरिगेशन चैनल पर 36 MLD CETP, 130 MLD STP, 43 MLD STP तथा 05 MLD STP से शोधित मिश्रित उत्प्रावाह निस्तारित किया जाता है तथा डायलूशन के उपरान्त इरिगेशन चैनल पर नमूना एकत्रित किया जाता है। सी.ई.टी.पी. का संचालन पूर्ण क्षमता पर 36 एम.एल.डी. तथा 43 व 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का संचालन कम क्षमता औसतन क्रमशः 35 व 100 एम.एल.डी. पर संचालित हैं। इरीगेशन चैनल में लगभग 170 एम.एल.डी. मिश्रित उत्प्रावाह निस्तारित किया जा रहा है। इरीगेशन चैनल पर मानकों की पूर्ति नहीं पाये जाने के क्रम में संयंत्रों के आउटलेट पर परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी संयंत्रों द्वारा एकल रूप से भी मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है। बोर्ड के पत्रांक एच 62110/सी-2/वाटर-1706/कानपुर दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से दिनांक 18.03.2021 से दिनांक 03.06.2021 की अवधि में उल्लंघन हेतु रू० 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 01.06.2021 से 05.04.2022 तक के विश्लेषण परिणामों से स्पष्ट है कि अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरीगेशन चैनल पर तथा संयंत्रों के आउटलेट पर निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। संयंत्रों द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 295 दिवसों में उल्लंघन पाया गया है, जिसमें से 31 दिवसों में सीवेज हेतु प्रमुख प्रचालक वी.ओ.डी. का मात्रा इरीगेशन चैनल पर मानकों के अनुरूप पाये जाने के दृष्टिगत अन्य प्रचालकों के मान हेतु सी.ई.टी.पी. उत्तरदायी होगा तथा शेष 264 दिवसों में उल्लंघन हेतु मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर उत्तरदायी होगा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-


".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Penalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानसार 36 MLD CETP संयंत्र के आउटलेट एवं अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरिगेशन चैनल पर वी.ओ.डी. का मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के दृष्टिगत दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 264 दिवस के डिफाल्ट के आधार पर कुल रू० 99,00,000/- (रू० निम्नानवे लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू0 99,00,000/- (रू0 निम्नानवे लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No. 74518

सी-2/लाभ-78/22

दिनांक
Date 20-4-22

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
बेनाझाबर रोड,
जनपद-कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषय:- मै० गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 19.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित 36 MLD CETP से इरिगेशन चैनल में अधोमानक निस्तारित किये गये शोधित उत्प्रावाह के संबंध में नियमित निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य किया गया। CETP के फाइनल आउटलेट बिन्दु इरिगेशन चैनल पर 36 MLD CETP, 130 MLD STP, 43 MLD STP तथा 05 MLD STP से शोधित मिश्रित उत्प्रावाह निस्तारित किया जाता है तथा डायलूशन के उपरान्त इरिगेशन चैनल पर नमूना एकत्रित किया जाता है। सी.ई.टी.पी. का संचालन पूर्ण क्षमता पर 36 एम.एल.डी. तथा 43 व 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का संचालन कम क्षमता औसतन क्रमशः 35 व 100 एम.एल.डी. पर संचालित हैं। इरीगेशन चैनल में लगभग 170 एम.एल.डी. मिश्रित उत्प्रावाह निस्तारित किया जा रहा है। इरीगेशन चैनल पर मानकों की पूर्ति नहीं पाये जाने के क्रम में संयंत्रों के आउटलेट पर परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी संयंत्रों द्वारा एकल रूप से भी मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है। बोर्ड के पत्रांक एच 62110/सी-2/वाटर-1706/कानपुर दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से दिनांक 18.03.2021 से दिनांक 03.06.2021 की अवधि में उल्लंघन हेतु रू० 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 01.06.2021 से 05.04.2022 तक के विश्लेषण परिणामों से स्पष्ट है कि अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरीगेशन चैनल पर तथा संयंत्रों के आउटलेट पर निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। संयंत्रों द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 295 दिवसों में उल्लंघन पाया गया है, जिसमें से 31 दिवसों में सीवेज हेतु प्रमुख प्रचालक बी.ओ.डी. का मात्रा इरीगेशन चैनल पर मानकों के अनुरूप पाये जाने के दृष्टिगत अन्य प्रचालकों के मान हेतु सी.ई.टी.पी. उत्तरदायी होगा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Panalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between, 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार 36 MLD CETP संयंत्र के आउटलेट एवं अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरिगेशन चैनल पर मानकों की पूर्ति नहीं पाये जाने के दृष्टिगत दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 31 दिवस के डिफाल्ट के आधार पर कुल रू० 11,62,500/- (रू० ग्यारह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

.....2.....

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मै0 गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर पर कुल रू0 11,62,500/- (रू0 ग्यारह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी (वृत्त-2)

